विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2024 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित श्री आशुतोष सिन्हा, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-4 का उत्तर :

	प्रश्न	उत्तर
4 (क)	क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-चन्दौली के चकिया विकासखण्ड के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-रामपुरकलां के राजस्व ग्राम-बैरी में पंचायत भवन परिसर में पर्याप्त खाली भूमि होने के बावजूद राशन की दुकान का निर्माण शासनादेश के विरूद्ध पंचायत भवन से 2 किलोमीटर की दूरी पर कराया गया है ?	• जिलाधिकारी चन्दौली की आख्या दिनांक 03.02.2024 के अनुसार जनपद चन्दौली के चकिया विकासखण्ड के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-रामपुरकलां के राजस्व ग्राम-बैरी में पंचायत भवन परिसर में तथा उसके समीप कोई भी उपयुक्त सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है । • पंचायत भवन परिसर में यदि मॉडल उचित दर दुकान का निर्माण कराया जाता है तो रास्ता संकरा एवं व्यस्त होने के कारण सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था में प्रयुक्त भारी वाहन सुगमतापूर्वक दुकान तक नहीं पहुंच पायेगा। परिसर के अन्दर गाड़ियों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पंचायत भवन की चहारदीवारी को भी तोड़ना होगा तथा पंचायत भवन में यदि कोई सार्वजनिक कार्य या बैठक आयोजित की जाती है तो उस दौरान होने वाले राशन वितरण चक्र में व्यवधान उत्पन्न होगा । • पूर्व पंचायत भवन राजस्व ग्राम रामपुरकलां में ही स्थित था, जो कि वर्तमान में जर्जर स्थिति में होने के कारण निष्प्रयोज्य हो चुका है । निर्माणाधीन मॉडल उचित दर दुकान पूर्व पंचायत भवन से लगभग 300 मीटर की दूरी पर स्थित है । यह उचित दर दुकान पक्की रोड पर स्थित है, जहां खाद्यान्नयुक्त भारी वाहन सुगमतापूर्वक पहुंच सकता है ।
(ख)	क्या शासनादेश के विरूद्ध हुए इस राशन के दुकान के निर्माण में खर्च हुई धनराशि की रिकवरी सम्बन्धित ग्राम प्रधान से करायेंगें ?	जी नहीं ।
(ग)	क्या ग्रामवासियों के द्वारा बार-बार प्रार्थना पत्र दिए जाने के बावजूद इसका संज्ञान न लेने वाले अपने दायित्वों के प्रति लापरवाह जनपद- चन्दौली व तहसील-चकिया के अधिकारियों पर कार्यवाही करायेगें ?	उक्त भूमि पर राशन की दुकान का निर्माण ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव दिनांक 15.09.2023 के क्रम में किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण की जांच उपजिलाधिकारी, चकिया व जिला पंचायत राज अधिकारी, चन्दौली की टीम से करायी गयी है। जांच में मॉडल उचित दर दुकान का निर्माण नियमानुसार व उपयुक्त/उपलब्ध स्थल पर किया जाना पाया गया है।
(घ)	क्या इस निर्माण के सन्दर्भ में गलत आख्या लगाकर अपने वरिष्ठ अधिकारियों एवं सदन को गुमराह करने वाले खण्ड विकास अधिकारी-चकिया एवं अन्य अधिकारियों पर कार्यवाही करायेगें ?	राशन की दुकान का निर्माण ग्राम पंचायत के प्रस्ताव दिनांक 15-09-2023 एवं आवागमन की सुविधा को देखते हुए विधि सम्मत तरीके से कराया गया है । अत: कार्यवाही कराये जाने का कोई औचित्य नहीं बनता ।
(ड)	क्या एक उच्चस्तरीय टीम गठित कर पंचायत भवन परिसर में उपलब्ध खाली भूमि का स्थलीय निरीक्षण करायेंगे ?	जिलाधिकारी चन्दौली द्वारा उपजिलाधिकारी, चकिया एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, चन्दौली की संयुक्त टीम गठित कर प्रकरण की जॉच करायी गयी। जॉच आख्या दिनांक 01.02.2024 के अनुसार जॉच टीम इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ग्रामसभा रामपुरकलां विकास-खण्ड चकिया में बन रही मॉडल उचित दर दुकान नियमानुसार उपयुक्त स्थल पर है तथा शासनादेश के मानकों के अनुरूप है। (जांच आख्या संलग्न)
(च)	यदि हॉ, तो क्या उक्त का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?	उपरोक्तानुसार ।
(छ)	यदि नही, तो क्यों ?	प्रश्न नहीं उठता ।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री ।

जॉच आख्या

कार्यालय जिलाधिकारी चन्दौली के पत्र संख्या 788/जि0पू0अ0–वि0परि0प्र0/2024 दिनांक 31.01.2024 में उल्लिखित है कि अपर आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन लखनऊ के पत्र संख्या –404/आ0पू0रा0–वि0स0प्र0/2019 दिनांक 24 जनवरी, 2024 द्वारा शासन के पत्र संख्या–वि0परि0–1/29–6–2024–01–सी0क्यू0/2024 दिनांक 23.01.2024 की प्रति संलग्न करते हुए अवगत कराया गया है कि विधान परिषद के प्रथम सत्र 2024 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित श्री आशुतोष सिन्हा मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–3 का उत्तरालेख उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है, जिसके दृष्टिगत उपायुक्त (श्रम रोजगार), चन्दौली द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या–461 दिनांक 30 जनवरी, 2024 द्वारा उत्तरालेख के प्रश्न (ड) में की गयी पृच्छा कि **"क्या एक उच्चस्तरीय टीम गठित कर पंचायत भवन परिसर में उपलब्ध खाली भूमि का स्थलीय निरीक्षण करायेंगें"**, के क्रम में राजस्व एवं पंचायती राज विभाग का कार्यक्षेत्र अर्न्तनिहित होने के दृष्टिगत उप जिलाधिकारी चकिया व जिला पंचायत राज अधिकारी चन्दौली की संयुक्त टीम गठित कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त आदेश के अनुपालन में दिनांक 01.02.2024 को संयुक्त जॉच टीम द्वारा ग्रामसभा रामपुर कलां विकासखण्ड चकिया के पंचायत भवन के परिसर में उपलब्ध खाली भूमि व बन रहे उचित दर दुकान (मॉडल शॉप) का स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण में जॉच टीम को निम्न तथ्य प्रकाश में आये:–

1. शासनादेश के अनुसार राशन की दुकान का निर्माण यथा सम्भव पंचायत भवन के पास कराना था, यह अनिवार्यता नही थी क्योंकि पंचायत भवन के पास कोई भी उपयुक्त सरकारी जमीन उपलब्ध नही थी, पंचायत भवन की बाउड्री का कार्य कराया गया है, जिसमें इण्टरलाकिंग लगी है, पंचायत भवन की बाउंड्री के बाहर पंचायत भवन के समीप कोई भी उपयुक्त सरकारी भूमि उपलब्ध नही है। ऐसा सचिव व लेखपाल द्वारा आख्या उपलब्ध कराया गया है। (संलग्नक:– सचिव व लेखपाल की आख्या।)

   जॉच टीम द्वारा निरीक्षण के समय यह भी पाया कि पंचायत भवन परिसर में यदि कोई सार्वजनिक कार्य या बैठक आयोजित की जाती है तो उस दौरान होने वाले राशन वितरण चक्र में व्यवधान उत्पन्न होगा जो जनहित के प्रतिकूल होगा क्योंकि पंचायत भवन परिसर में इतनी भूमि नही उपलब्ध है जिससे उक्त दोनो कार्य सुगमतापूर्वक सम्पन्न हो सके।
2. जॉच टीम ने यह भी पाया कि पंचायत भवन परिसर में यदि उचित दर की दुकान (मॉडल शॉप) बनती है तो रास्ता सकरा व व्यस्त होने के कारण वहॉ खाद्यान्न की पहुँच सुगमतापूर्वक नही हो पायेगी। साथ ही परिसर के अन्दर गाड़ियों की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए पंचायत भवन की चहारदीवारी को भी तोड़ना होगा।
3. जॉच टीम द्वारा जिस जगह उचित दर की दुकान (मॉडल शॉप) बन रही है, उस स्थल का भी निरीक्षण किया गया। उक्त स्थल पिच रोड पर स्थित है जहॉ पर बड़ी गाड़ी सुगमतापूर्वक से आ जा सकती है तथा उक्त स्थल शासनादेश के हर मानक को पूर्ण करती है।
4. पंचायत अधिनियम एक्ट में प्रावधान हैं कि ग्राम पंचायत दान में जमीन प्राप्त कर सकती है। ग्राम पंचायत रामपुर कलां द्वारा आ0नं0–58 रकबा 0.0058 हेक्टेयर भूमि का दान प्राप्त की है, उसी भूमि पर राशन की दुकान के निर्माण हेतु ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव किया गया है उक्त जमीन राशन की दुकान के मानक के अनुसार है, जो पिच रोड पर स्थित है तथा उक्त भूमि ग्राम पंचायत के नाम से दर्ज हो चुकी है। (संलग्नक:– ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव व खतौनी की छायाप्रति।)
5. जॉच टीम ने यह भी पाया कि पूर्व निर्मित पंचायत भवन रामपुर कलां में स्थित है, जिससे निर्माणाधीन राशन की दुकान की दूरी लगभग 300 मीटर है, जो जर्जर स्थिति में होने के कारण निष्प्रयोज्य घोषित हो चुकी है तथा नवनिर्मित वर्तमान पंचायत भवन, जो कि बैरी में स्थित है से निर्माणाधीन राशन की दुकान की दूरी लगभग 1.5 कि0मी0 है तथा साथ ही यह भी अवगत कराना है कि रामपुर कलां एवं बैरी मौजा में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या क्रमशः 901 तथा 928 है तथा राशन कार्डधारकों की संख्या क्रमशः 168 एवं 175 है।
6. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में श्री चन्द्रभान सिंह मौर्या द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका पी0आई0एल0 नं0 2625/2023 दायर की गयी थी, जिसे मा0 न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 09.11.2023 द्वारा निरस्त किया जा चुका है। उक्त आदेश में न्यायालय द्वारा कहा गया कि:–

"Sri A.K Goyal, learned State counsel, on instructions, subits that the land where the contruction is being proposed, has been donated by one Ajit Kumar Patel, as such, the State will not have any financial burden and resolution to this effect has been passed by Gram Sabha. He further submits that provision of the Government Order has not been vilated. Even otherwise, the decision, which has been taken by the State authorities, is a matter of policy decision, which cannot be interfered by this Court in exercise of power under Article 226 of the Constitution of India.

In view of above, the petition is dismissed." (संलग्नक:–मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 09.11.2023 की छायाप्रति।)

उपर्युक्तानुसार जॉच टीम इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि ग्रामसभा रामपुर कलां विकासखण्ड चकिया में बन रही उचित दर दुकान (मॉडल शॉप) नियमानुसार उपयुक्त स्थल पर है।

01/02/2024

(बह्मचारी दूबे)
जिला पंचायत राज अधिकारी
चन्दौली।

(कुन्दन राज कपूर)
उप जिलाधिकारी
चकिया–चन्दौली।